महत्वपूर्ण एवं खास

हेल्थ सेक्टर में लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा निःशुल्क गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिये पंजीयन 13 जून तक

रायगढ़ । रोजगार की आश रखने वाले युवाओं हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत रायगढ़ जिले के जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, केआईटी कॉलेज के पास गढ़उमरिया, उड़िसा रोड रायगढ़ में हेल्थ सेक्टर के कोर्स Emergency Medical Technician-Basic में निःशुल्क गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क होगी एवं 21 दिवस के क्रैश कोर्स प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को 3 माह का ऑन-जॉब-ट्रेनिंग कराया जाएगा। इच्छुक युवक-युवतियां जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, केआईटी कॉलेज के पास गढ़उमरिया, उड़िसा रोड रायगढ़ में समस्त दस्तावेजों के साथ दिनांक 13 जून 2021 तक पंजीयन करवा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय या दूरभाष नं. 9827911451, 895971988 से संपर्क कर सकते हैं।

शासकीय नजूल रिक्त भूमि की नीलामी 10 जून को

रायगढ़ । रायगढ़ में स्थित शासकीय/नजूल रिक्त भूमि की खुली नीलामी 10 जून 2021 को दोपहर 12 बजे कलेक्टर सभाकक्ष में की जायेगी। नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन नजूल अधिकारी, जिला कार्यालय रायगढ़ के कक्ष में निर्धारित राशि की डिमांड ड्राफ्ट सहित अंतिम तिथि 10 जून 2021 को पूर्वान्ह 11 बजे तक जमा की जाएगी। रायगढ़ के ईडन गार्डन के सामने, मोदी नगर से लगकर के विनोबा नगर, प्लाट नंबर 312/1, 313/1 से रकबा 11194 वर्गफुट भूमि के लिये 7061600 रुपये, जेलपारा नजूल भूमि 59, प्लाट नंबर 29/1 से रकबा 1224 वर्गफुट भूमि के लिये 4,93,675 रुपये, मधुबनपारा-नजूल भूमि 55, प्लाट नंबर 11 से रकबा 3000 वर्गफुट भूमि के लिये 13,07,619 रुपये, मधुबनपारा-नजूल भूमि 55, प्लाट नंबर 11 से रकबा 1700 वर्गफुट भूमि के लिये 7,40,913 रुपये, मिट्ठुमुड़ा-प्लाट नंबर 30 से रकबा 4360 वर्गफुट भूमि के लिये 18,15,316 रुपये, दीनदयाल अपार्टमेन्ट के पीछे स्थित है-नजूल ग्राम-बड़े रामपुर प्लाट नंबर 3/1 से रकबा 15,500 वर्गफुट भूमि (आवासीय प्रयोजनार्थ)के लिये 52,43,493 रुपये, दीनदयाल अपार्टमेन्ट के पीछे दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित है-नजूल ग्राम-बड़े रामपुर प्लाट नंबर 3/1 से रकबा 10500 वर्गफुट भूमि (आवासीय प्रयोजनार्थ)के लिये 35,52,058 रुपये, दीनदयाल अपार्टमेन्ट के पीछे खेत से लगकर दक्षिण-पूर्वी कोना पर है-नजूल ग्राम-बड़े रामपुर प्लाट नंबर 3/1 से रकबा 4500 वर्गफुट भूमि (आवासीय प्रयोजनार्थ)के लिये 15,22,321 रुपये तथा दीनदयाल अपार्टमेन्ट के पीछे (दक्षिण दिशा में)लगकर स्थित है-नजूल ग्राम-बड़े रामपुर प्लाट नंबर 3/1 से रकबा 2442 वर्गफुट भूमि (आवासीय प्रयोजनार्थ)के लिये 8,26,098 रुपये है। भूमि का नक्शा और फार्म और परिशिष्ट-2 जिसमें शासकीय भूखंड का भूमि स्वामी हक में व्यवस्थापन/बंटन दिया जायेगा। इच्छुक खरीददारों द्वारा नजूल शाखा कार्यालय कलेक्टर रायगढ़, आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ तथा कार्यालय तहसीलदार रायगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में नीलामी के स्थान और समय पर भी देखा जा सकेगा। आबंटन हेतु अमानत राशि जमा करने वाले आवेदकगण को ही नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी। प्रत्येक पक्षकार की ओर से आवेदक तथा उनका अभिकर्ता सहित दो व्यक्ति नीलामी में उपस्थित हो सकेंगे। नीलामी का अनुमोदन समिति के माध्यम से कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

किसान ने रागी की खेती से कमाया धान से दुगुना और गेहूं से तिगुना फायदा

» सिर्फ वर्मी कम्पोस्ट का किया उपयोग, 10 किलो बीज से एक हेक्टेयर में ली 28 क्विंटल उपज

» जिला प्रशासन किसानों से 45 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदेगा रागी

रायगढ़ । परम्परागत खेती करते आये किसान तेजसिंह पटेल ने अपने एक हेक्टेयर खेत में रागी की फसल लगाकर धान से दुगुना और गेहूं से तिगुना फायदा कमाया है। इसको देखकर किसान तेज सिंह पटेल काफी उत्साहित है और कहते है कि उन्होंने पहली बार अपनी परम्परागत फसल से हटकर रागी की खेती की। जिससे उन्हें 72 हजार 780 रुपये की शुद्ध आय मिली, जो इतनी ही भूमि पर ग्रीष्म कालीन धान लगाने पर लगभग 37 हजार 990 रुपये और गेहूं लगाने पर 22 हजार रुपये का लाभ मिलता है। इस लिहाज से रागी की फसल से ग्रीष्म कालीन धान से दुगुना और गेहूं की फसल से तिगुना लाभ मिला है। रागी की खेती से मिले फायदे से अब आगे वे खरीफ सत्र 2021 में भी अपने 2.5 एकड़ जमीन में रागी लगाने जा रहे है। उन्होंने पूर्णतः जैविक पद्धति से रागी की खेती की जिसमें उन्होंने खाद के रूप में वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किया।

विकासखण्ड पुसौर ग्राम-जतरी के तेजसिंह पटेल बताते है कि उनके पास कुल 6.705 हेक्टेयर जमीन है। पहले वे पूरी भूमि में खरीफ में धान की फसल तथा रबी में सिंचित क्षेत्र के 1 हेक्टेयर में गेहूं की फसल उगाते रहे है। गत वर्ष उन्हें गेहूं की 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हुआ था। जिसको बाजार में 1600 रुपये की दर से बिक्री किया।

इस साल कृषि विभाग से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एफ.सी.साव ने कृषक तेजसिंह पटेल को रागी की फसल के बारे में बताया। उन्होंने जानकारी एवं प्रदर्शन, बीज उत्पादन कार्यक्रम से जैविक खेती संबंधित प्रशिक्षण से प्रभावित होकर एक हेक्टेयर में रागी फसल लगाने का निश्चय किया। कृषक तेजसिंह पटेल ने कृषि विभाग से रागी का 10 किलो बीज निःशुल्क प्राप्त किया। उन्होंने 3 क्विंटल वर्मी खाद सेमरा गोठान से क्रय किया। रागी उत्पादन के लिये उन्होंने दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह से खेत की तैयारी शुरू कर दी। नर्सरी की तैयारी के लिये एक मीटर चौड़ा, 7.5 मीटर लम्बा तथा 4 इंच ऊंचा बेड तैयार किया गया। नर्सरी में एक क्विंटल वर्मी कम्पोस्टर एवं 10 क्विंटल गोबर की खाद का उपयोग किया। इस बीच कृषि विभाग के अधिकारियों का लगातार खेत में आना जारी रहा तथा उनका मार्गदर्शन भी मिलता रहा। रोपाई पूर्व बेसल डोज खाद के रूप में खेत में दो ट्रोली गोबर की खाद एवं 2 क्विंटल वर्मी खाद का उपयोग किया गया। कतार से कतार की दूरी 25 से.मी. एवं पौध से पौध की दूरी 10 से.मी. रखने का निर्णय लिया गया। रोपाई का कार्य नर्सरी से पौधा उखाड़ने के तत्काल बाद किया गया। रोपाई के 25 दिन बाद अंबिका पैडी वीडर को कतार में चलाया गया इससे निंदा नियंत्रण से हो गया और रागी के पौधों में थोड़ा-थोड़ा मिट्टी चढ़ाई भी हो गया। सिंचाई की आवश्यकता अनुसार नियमित किया गया। धान गेहूं या अन्य रबी फसल के अपेक्षा सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ी तथा रासायनिक उर्वरक एवं पौध संरक्षण कार्य में रासायनिक दवाओं का उपयोग करना नहीं पड़ा। तना छेदक कीट नियंत्रण के लिये एक लीटर एजाडिरेक्टीन 1500 पीपीएम (नीम का तेल)का स्प्रे किया इससे काफी हद तक कीट नियंत्रण हो गया। 5 गुणा 5 वर्ग मीटर में फसल कटाई प्रयोग ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया गया जिसका उत्पादन 6.990 कि.ग्रा. मिला। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर 27.96 क्विंटल उपज प्राप्त हुआ। जिससे उन्हें 72 हजार 780 रुपये की शुद्ध आय मिली, जो इतनी ही भूमि पर ग्रीष्म कालीन धान लगाने पर लगभग 37 हजार 990 रुपये और गेहूं लगाने पर 22 हजार रुपये का लाभ मिलता है। इस लिहाज से रागी की फसल से ग्रीष्म कालीन धान से दुगुना और गेहूं की फसल से तिगुना लाभ मिला है।

किसान तेजसिंह पटेल कहते है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने रागी के लिये समर्थन मूल्य 33.97 रुपये प्रति किलो घोषित किया है। इसके साथ ही कलेक्टर भीम सिंह की पहल पर जिला प्रशासन रायगढ़ जिले में रागी की खेती करने वाले किसानों से समर्थन मूल्य के साथ अनुदान सहायता देते हुये 45 रुपये प्रति किलो की दर से उपार्जित करने जा रही है। जिससे रायगढ़ जिले में रागी की खेती से किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा। उन्होंने अन्य किसानों को आग्रह किया कि वे भी कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली रागी फसल को लगायें। स्वयं पौष्टिक अन्न खायें तथा बिक्री कर अधिक लाभ कमायें।

लोहे के कत्ता से लोगों को डरा धमका रहा व्यक्ति गिरफ्तार, जूटमिल पुलिस की आर्म्स एक्ट की कार्रवाई

रायगढ़। दिनांक 09/06/2021 के दोपहर पुलिस चौकी जूटमिल प्रभारी निरीक्षक अमित शुक्ला को मुखबिर से चमड़ा गोदाम चौक के पास चौंक में एक व्यक्ति लोहे का धारधार हथियार लेकर लोगों को डराने धमकाने की सूचना मिला। सूचना पर टीआई जूटमिल द्वारा चौकी के पेट्रोलिंग पार्टी के प्रधान आरक्षक शंभू पांडे के हमराह आरक्षक ओशनिक विश्वाल, प्रकाश गिरी गोस्वामी को सुरक्षा पूर्वक आरोपी को हिरासत में लेकर चौकी लेकर आने निर्देशित किया गया। जूटमिल पेट्रोलिंग स्टॉफ मौके पर जाकर लोहे के धार कत्ता के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर चौकी लाई। आरोपी पूछताछ में अपना नाम जोगेन्दर उर्फ कालू सारथी पिता गणपत सारथी उम्र 45 वर्ष निवासी चमड़ा गोदाम चौकी जूटमिल का रहने वाला बताया जिसके पास से करीब 12 इंच लंबाई वाली धार धार कत्ता जप्त किया गया है। पुलिस चौकी जूटमिल में आरोपी पर 25,27 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

रसोईया की नौकरी दिलाने के नाम पर महिलाओं से ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 25/07/2020 को थाना कोतवाली में आवेदिका कुसुम मनहर पति प्रीतम मनहर उम्र 30 वर्ष निवासी ढिमरापुर रायगढ़ द्वारा एक संयुक्त हस्ताक्षर आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी संतोष महंत, उसकी पत्नी शशि कला महंत एवं वेदांत साहू द्वारा मिलकर हॉस्टलों में खाना बनाने रसोईया का नौकरी लगवाने के नाम पर 9 महिलाओं से एक 30,000 रुपए वसूल किया गया है। इसी प्रकार इनके द्वारा करीबन 100 अन्य लोगों से भी नौकरी लगाने के नाम पर रकम लेकर सभी का मेडिकल टेस्ट कराया गया है किंतु ना तो किसी की नौकरी लगी ना ही किसी को इनके द्वारा रकम वापस किया गया है जबकि इनके द्वारा रकम वापस करने हेतु नोटरी इकरारनामा निष्पादित किया गया था। आवेदन पत्र पर कोतवाली पुलिस आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 517/2020 धारा 420 ,34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान पूर्व में दिनांक 27/07/2020 को आरोपी संतोष महंत पिता पलटन दास महंत उम्र 32 वर्ष निवासी चमड़ा गोदाम आदर्श नगर जूटमिल रायगढ़ को गिरफ्तार किया गया था शेष आरोपी शशि कला महंत एवं वेदांत साहू फरार होने से प्रकरण में धारा 173 (8) सीआरपीसी अंतर्गत आरोपी संतोष महंत विरुद्ध दिनांक 24/09/2020 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया गया है। शेष आरोपीगण की कोतवाली पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी, कोतवाली थाना प्रभारी मनीष नागर एवं टीम जिसमें सहायक उप निरीक्षक जयमंगल निषाद, आरक्षक संजीव पटेल, महिला आरक्षक अलीशा टोप्पो शामिल थे , जिनके द्वारा आरोपियों के जूटमिल में देखे जाने की सूचना पर हिरासत में लिया गया। आरोपिया शशिमहंत पति संतोष उम्र 35 वर्ष निवासी चमड़ा गोदाम आदर्श नगर जूटमिल एवं वेदांत साहू उर्फ़ वेदानुग पिता गणेश साहू उम्र 24 वर्ष निवासी मिट्ठुमुड़ा जूटमिल रायगढ़ को आज दिनांक 9/6/ 2021 को गिरफ्तार किया जाकर ज्यूडिशियल रिमांड हेतु न्यायालय भेजा गया है। शीघ्र ही आरोपियों के विरूद्ध पूरक चालान पेश किया जावेगा।

आबकारी विभाग ने कायम किये अवैध शराब के 45 आपराधिक प्रकरण

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में अवैध शराब निर्माण, बिक्री एवं भंडारण करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु सहायक आयुक्त आबकारी को निर्देशित किया है। कलेक्टर के निर्देश पर सहायक आयुक्त ने आबकारी अमले को सूचित करते हुये कहा है कि जिले में सघन गश्त करते कही भी इस तरह के मामले सामने आने पर अवैध शराब जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार करते हुये न्यायालीन कार्यवाही करें।

इसी तारतम्य में पुसौर क्षेत्र में ओड़िसा की शराब तस्करी कर बिक्री की सूचना मिली। आबकारी उप निरीक्षक रमेश सिंह सिदार ने त्वरित कार्यवाही करते हुये ग्राम-कान्दागढ़ के प्रमोद चौहान को 38 पाउच मयूर छाप ओड़िशा राज्य की महुआ शराब बेचने के लिये रखे हुए पकड़ा गया। प्रत्येक पाउच में 180 मिली लीटर शराब भरी हुई पाई गई, कुल 6.84 लीटर शराब बरामद होने पर आरोपी को आबकारी एक्ट की धारा 34(2) की तहत जेल भेजा गया। ग्राम औरदा के लालाराम साव द्वारा अंग्रेजी शराब अवैध रूप से बिक्री की शिकायत पर उड़नदस्ता उप निरीक्षक रंजीत गुप्ता ने तलाशी लिया, 10 पाव विदेशी मदिरा गोवा के बिक्री करते पाये जाने पर आरोपी लालाराम साव को गिरफ्तार कर प्रकरण कायम किया।

ग्राम लोईंग थाना चक्रधर नगर क्षेत्र में शराब बनाकर बेचने की सूचना पर आबकारी टीम ने जॉच किया, रोहित कुमार के घर की तलाशी में 3 लीटर महुआ शराब बेचने के लिए रखा हुआ पाया। आरोपी रोहित के विरूद्ध न्यायालयीन कार्यावाही की। ग्राम झिकाबहाल थाना तमनार के राजू यादव को ओड़िशा राज्य की रायल स्टेग विदेशी शराब बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, आरोपी राजू यादव ग्राम- झिंकाबहाल, थाना- तमनार को न्यायालय घरघोड़ा में पेश किया जा रहा है।

सहायक जिला आबकारी अधिकारी रमेश कुमार अग्रवाल को ग्राम बनखेता थाना- चक्रधर नगर में अवैध शराब बना कर बेचने की खबर मुखबिर से मिलने पर टीम बनाकर दबिश दी। ग्राम बनखेता के संजू उरांव को 04 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया। जिसका चालान न्यायालय रायगढ़ में पेश किया जा रहा है।

हाथियों का उत्पात फिर शुरू, तोड़े तीन मकान

कोरबा (आरएनएस)। जिले के वनमंडल कटघोरा के पसान रेंज में हाथियों का उत्पात फिर शुरू हो गया है। रेंज के पनगवां गांव में 3 की संख्या में पहुंचे हाथियों ने मंगलवार की रात भारी तांडव मचाया। इस दौरान हाथियों ने 3 ग्रामीणों के मकान बुरी तरह ढहा दिए। इतना ही नहीं वहां रखे घरेलू सामानों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही धान-चावल एवं अन्य अनाज को चट कर गये। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण काफी सहमे हुए हैं।

हाथी प्रभावित ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को रात में ही दे दी। जिस पर सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी शिवशंकर तिवारी के नेतृत्व में वन विभाग का अमला मित्र दल के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचा और उत्पात मचा रहे हाथियों को खदेडने की कार्यवाही की। वन अमले द्वारा खदेड़े जाने पर हाथियों ने जंगल का रूख किया तब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

इससे पहले हाथियों के उत्पात से ग्रामीण काफी हलाकान रहे और मारे डर के रतजगा करते रहे। वन विभाग का अमला आज सुबह होने पर रात में हाथियों द्वारा किये गए नुकसान का आंकलन किया और रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही इसे रेंजर धर्मेंद्र चौहान को सौंप दिया। एक अनुमान के मुताबिक हाथियों के उत्पात से संबंधित ग्रामीणों को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है।

ज्ञात रहे पिछले एक-दो दिनों को छोड़कर पसान रेंज के जंगल में हाथियों की उपस्थिति जरूर बनी हुई थी लेकिन वे शांत थे और जंगल ही जंगल घूम रहे थे।

किसानों के बीच फसल विविधीकरण को दें बढ़ावा-कलेक्टर भीम सिंह

» वृक्षारोपण पर भी मिलेगी आदान सहायता, किसानों के साथ पंचायत व वन प्रबंधन समिति को वृक्षारोपण के लिये प्रोत्साहित करने के दिये निर्देश

» गोधन न्याय योजना के कार्यों में लापरवाही पर होगी कार्यवाही

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने आज कृषि, पंचायत विभाग व नगरीय निकायों की बैठक लेकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना तथा गोधन न्याय योजना की समीक्षा की। कलेक्टर सिंह बैठक के दौरान सभी अधिकारी-कर्मचारियों को उनके क्षेत्र में किसानों को फसल विविधीकरण के फायदे बताते हुये दलहन-तिलहन के साथ अन्य फसल लगाने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये कहा। उन्होंने कहा कि फसलों को बदलकर लगाने के कई फायदे हैं एक ओर जहां यह भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है तो वहीं एक प्रकार की फसल लगाने से ग्राउण्ड वाटर लॉस जैसी समस्या से निजात मिलती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना में दलहन-तिलहन, मक्का, रागी, कोदो-कुटकी जैसी फसलों को शामिल किया है। जिससे किसानों को दोहरा लाभ है। गत वर्ष धान लगाने वाले किसान यदि इन फसलों को लगाते है तो उन्हें प्रति एकड़ दस हजार रुपये आदान सहायता दी जायेगी। उन्होंने कहा कि अब सहकारी समितियों में दलहन-तिलहन तथा अन्य फसलों के बीच किसानों को ऋण मान के रूप में मिलेंगे। इसके लिये सभी सहकारी समितियों में बीज के भंडारण करवाने के निर्देश दे दिये गये है, जिससे किसानों को बीज का उठाव करने में सुविधा हो। इसके साथ ही सरकार ने विभिन्न फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित किया है। रागी के लिये 3200 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन जिले में किसानों से रागी 45 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदेगी। रागी के पौष्टिक गुणों का लाभ लेकर कुपोषण मुक्ति के लिये इसके लड्डू बनाकर आंगनबाड़ी में बच्चों को दिया जायेगा।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि किसानों को वृक्षारोपण के लिये भी प्रेरित करें। सरकार ने वृक्षारोपण के लिये भी आदान सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके तहत वृक्षारोपण करने वालों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की आदान सहायता अगले तीन सालों तक प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत वृक्ष की लकड़ी के उपयोग को आसान बनाने के प्रावधान भी किये गये है। उन्होंने किसानों को फलदार तथा ईमारती लकड़ी लगाने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये कहा। साथ ही गांवों की पड़त भूमि पर पंचायत या वन प्रबंधन समिति के माध्यम से भी वृक्षारोपण करवाया जा सकता है। इससे उन्हें भी आदान सहायता के रूप में तीन सालों तक आदान सहायता के रूप में प्रति एकड़ 10 हजार रुपये के मान से प्राप्त होगा।

गोधन न्याय योजना के कार्यों में लापरवाही पर होगी कार्यवाही

कलेक्टर सिंह ने गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुये कहा कि यह शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने विकासखण्डवार गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन की समीक्षा की। कमजोर प्रदर्शन वाले गौठान के प्रभारियों पर गहरी नाराजगी जताते हुये उन्हें कार्य में सुधार लाने की हिदायत दी।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि यह योजना जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को आपसी सामंजस्य के साथ एक टीम के रूप में कार्य करने के लिये कहा। उन्होंने गौठान में गोबर को वर्मी पिट में डालने, उसमें केंचुआ मिलाने कंपोस्ट की नमी बनाये रखने के लिये पानी का छिड़काव और खाद को पिट से निकालने जैसे सारे समय पर करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गौठानों में खाद तैयार करने में तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने में मुख्य भूमिका कृषि विभाग की है। साथ ही संसाधनों का सहयोग व मैन पावर की देखरेख पंचायत विभाग को करनी है। सभी को अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभानी है। उन्होंने कहा कि यदि गौठान समिति या महिला स्व-सहायता समूह ठीक ढंग से काम नहीं करते है तो उन्हें हटाकर दूसरों को रखे।

इस दौरान सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल ने कहा कि गौठानों में निर्मित वर्मी वॉश तथा अन्य उत्पादों को स्थानीय स्तर पर बेचकर महिला समूह अतिरिक्त आय अर्जित कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने बारिश के मद्देनजर गोबर को पिट में डालने तथा शेड में ही रखने के लिये कहा। इसके साथ ही उन्होंने बाहर पड़े गोबर में डी कम्पोजर डालकर सुपर कम्पोस्ट तैयार करने तथा उसका विक्रय करने के लिये कहा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480